कार्यकारी सारांश

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (भा.प्रौ.सं.) भारत में अभियांत्रिकी शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए स्वायत्त, शीर्ष संस्थान हैं। ये प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 (अधिनियम) द्वारा शासित होते हैं। वर्ष 1951 और 2001 के मध्य, सात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में, देश की कुशल जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ ही सामाजिक समानता भी प्रदान करने हेतु, तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों के विस्तार और उन्नयन के लिए, आठ नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की परिकल्पना की गई थी।

वर्ष 2008-09 के दौरान स्थापित इन आठ नए भा.प्रौ.सं. (भा.प्रौ.सं. भुवनेश्वर (आईआईटीबीबीएस), भा.प्रौ.सं. गांधीनगर (आईआईटीजीएन), भा.प्रौ.सं. हैदराबाद (आईआईटीएच), भा.प्रौ.सं. इंदौर (आईआईटीआई), भा.प्रौ.सं. जोधपुर (आईआईटीजे), भा.प्रौ.सं. मंडी, भा.प्रौ.सं. पटना (आईआईटीपी) तथा भा.प्रौ.सं. रोपड़) की स्थापना की निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) यह निर्धारण करने के उद्देश्य से की गई थी कि क्या अवसंरचना सृजन, उपकरणों एवं सेवाओं का प्रापण, शैक्षणिक और अनुसंधान गतिविधियों, शासन और निरीक्षण तथा वित्तीय प्रबंधन मितव्ययता, दक्षता और प्रभावकारिता से किया गया था। लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र में वर्ष 2014 से 2019 तक की अवधि शामिल थी।

निष्पादन लेखापरीक्षा की प्रमुख अभ्युक्तियां निम्नानुसार है:

अध्याय - III: अवसंरचना का सृजन

- सभी आठ नए भा.प्रौ.सं. ने, शुरूआत में, अपनी शैक्षणिक क्रियाकलापों को अस्थायी परिसर से शुरू किया और बाद में उन्होने संबंधित राज्य सरकार द्वारा उन्हें आवंटित भूमि पर, स्थायी परिसरों का निर्माण शुरू कर दिया। यह देखा गया था कि भा.प्रौ.सं. हैदराबाद, भा.प्रौ.सं. इंदौर, भा.प्रौ.सं. जोधपुर और भा.प्रौ.सं. पटना में पर्याप्त भूमि जैसा शिक्षा मंत्रालय (एमओई) द्वारा परिकल्पना (500-600 एकड़) की गई थी, उपलब्ध थी जबकि भा.प्रौ.सं. भुवनेश्वर, भा.प्रौ.सं. गांधीनगर, भा.प्रौ.सं. मंडी और भा.प्रौ.सं. रोपड़ में, उनकी स्थापना के एक दशक बाद भी, भूमि के आवंटन और हस्तांतरण से संबन्धित मुद्दे बने रहे। छात्रों को नियोजित सुविधाएं प्रदान करने में, अपेक्षित भूमि की कमी, भा.प्रौ.सं. के लिए एक बड़ी बाधा थी।

- यद्यपि वर्ष 2012 से सभी भा.प्रौ.सं. में शैक्षणिक भवनों, छात्रावासों, प्रयोगशालाओं आदि के निर्माण जैसे अवसंरचना निर्माण कार्य चरणबद्ध तरीके से शुरू किए गए थे परंतु उनके निर्माण की गति छात्र/संकाय की परिकल्पित वृद्धि की गति के अनुरूप नहीं थी। पांच भा.प्रौ.सं. (भा.प्रौ.सं. हैदराबाद 56 महीने तक, भा.प्रौ.सं. मंडी 41 महीने तक, भा.प्रौ.सं. रोपड़ 39 महीने, भा.प्रौ.सं. गांधीनगर और भा.प्रौ.सं. इंदौर 37 महीने तक) के संबंध में काफी विलंब थे।
- समयबद्ध प्रकार से अवसंरचना विकास के लक्ष्यों की अप्राप्ति ने, सभी आठ भा.प्रौ.सं. में उपकरणों के समय पर प्रतिस्थापन और समुचित निधि प्रबंधन सहित छात्रों की प्रवेश क्षमता को प्रभावित किया।
- इसके परिणामस्वरूप छह साल की परियोजना अवधि के बाद भी अवसंरचना का कार्य चलता रहा। इससे पूंजीगत परिव्यय ₹6,080 करोड़ से ₹14,332 करोड़ और परियोजना की अवधि को 13 वर्षों के लिए संशोधित करना आवश्यक हो गया।

विलम्ब और ऊर्ध्वगामी लागत संशोधन के अलावा, निविदा प्रक्रियाओं के बिना नामांकन के आधार पर सलाहकारों/ठेकेदारों को कार्य प्रदान करके सामान्य वित्तीय नियमावली का उल्लंघन, भा.प्रौ.सं. पर अनिश्चितकालीन देयता/वित्तीय प्रतिबद्धताओं को लागू कर दोषपूर्ण अनुबंध करना, सृजित परिसंपत्तियों की निष्क्रियता, दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए सुगमता का गैर-प्रावधान, एफओबी/अंडरपास का निर्माण न करके छात्रों और अन्य उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को खतरे में डालना आदि जैसी कई महत्वपूर्ण कमियाँ पायी गईं थीं। उपकरण की आपूर्ति में अत्यधिक विलंब, कार्यस्थल की तैयारी और आवश्यक सामग्री का उचित मूल्यांकन सुनिश्चित करने में भा.प्रौ.सं. की विफलता के कारण उपकरणों की प्रवर्तन/प्रतिस्थापन में विलंब के परिणामस्वरूप छात्रों की प्रयोगशाला/अनुसंधान से संबन्धित आवश्यकता को पूरा नहीं किया गया और इस प्रकार उनके अध्ययन की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई।

अध्याय - IV: वित्तीय प्रबंधन

- लेखापरीक्षा ने पाया कि इन संस्थानों के स्थापित होने के एक दशक से अधिक समय हो जाने के बाद भी, भा.प्रौ.सं. के आवर्ती व्यय के प्रति आंतरिक प्राप्तियों (शुल्क, ब्याज, परामर्श कार्य, प्रकाशन आदि) का अनुपात बहुत कम था। यह इन भा.प्रौ.सं. को आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए भारत सरकार (जीओआई) के अनुदान पर बहुत अधिक निर्भर होने पर बाध्य किया।

- भा.प्रौ.सं. हैदराबाद में, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) ऋण की उपलब्ध निधियों का उपयोग करने में तीन वर्षों की अत्यधिक देरी पाई गई थी जिसके परिणामस्वरूप परिसर में सामयिक प्रकार (चरण-II) से शैक्षणिक और अनुसंधान क्रियाकलापों की उन्नति के वांछित उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई।

अध्याय - V: शैक्षणिक कार्यक्रम और अनुसंधान गतिविधियाँ

- शिक्षा मंत्रालय (एमओई) ने आठ भा.प्रौ.सं. में प्रारंभिक छह वर्षों (2008-14) में 18,880 छात्रों के समग्र लक्षित प्रवेश क्षमता की परिकल्पना की थी। यह पाया गया था कि इस अवधि के दौरान सभी आठ भा.प्रौ.सं. में केवल 6,224 छात्रों (33 प्रतिशत) को प्रवेश दिया जा सका, जिससे छात्रों को शैक्षिक अवसरों को अधिकतम करने के उद्देश्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सका।
- पीजी/पी.एच.डी कार्यक्रमो में, सभी आठ भा.प्रौ.सं. में रिक्तियां पाई गई थी जो अपेक्षित उपयुक्त छात्रों को आकर्षित करने के उद्देश्य से छात्र प्रवेश क्षमता के वास्तविक आकलन के साथ इन कार्यक्रमों के मूल्यांकन की आवश्यकता को दर्शाती है।
- शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों की वृद्धि के साथ जुड़े संकाय पदों की संस्वीकृति में वृद्धि की अनुमति दी, अर्थात संकाय पदों की संस्वीकृति में, प्रत्येक 10 छात्रों की वृद्धि के लिए (1:10 अनुपात) एक संकाय पद की वृद्धि की जाती है। यह देखा गया कि भा.प्रौ.सं. द्वारा किए गए प्रयासों और वर्ष-दर-वर्ष संकाय भर्ती में वृद्धि के बावजूद, सात भा.प्रौ.सं. में संकाय पद 5 प्रतिशत से 36 प्रतिशत के बीच रिक्तियां पाई गई थी। इसने छात्र प्रवेश क्षमता के तीव्र विस्तार को बाधित किया। आगे जाकर, रिक्तियां शिक्षा की गुणवत्ता को भी प्रभावित करेगी क्योंकि रिक्तियां से इन प्रमुख संस्थानों में मौजूदा संकाय पर कार्यभार बढ़ जाता है।
- सभी आठ भा.प्रौ.सं. में पीजी और पीएचडी नामांकन में आरक्षित श्रेणियों (एससी/एसटी/ओबीसी) से संबंधित छात्रों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व यह दर्शाता है कि प्रमुख तकनीकी संस्थानों में शिक्षा का लाभ इन छात्रों तक नहीं पहुंच रहा है। पीजी पाठ्यक्रमों में, अनुसूचित जाति के छात्रों की प्रवेश क्षमता में कमी 30 प्रतिशत (भा.प्रौ.सं. गांधीनगर) तक थी और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की प्रवेश क्षमता सात प्रतिशत (भा.प्रौ.सं. रोपड़) और 69 प्रतिशत (भा.प्रौ.सं. गांधीनगर) के बीच थी। इसी तरह, पीएचडी पाठ्यक्रमों में कमी, अनुसूचित जाति के छात्रों के संबंध में 25 प्रतिशत (भा.प्रौ.सं. हैदराबाद) से 75 प्रतिशत (भा.प्रौ.सं. रोपड़) और अनुसूचित

जनजाति के छात्रों के संबंध में 65 प्रतिशत (भा.प्रौ.सं. भुवनेश्वर) से 100 प्रतिशत (भा.प्रौ.सं. जोधपुर) तक थी।

- अनुसंधान के क्षेत्र में, सभी भा.प्रौ.सं. में गैर-सरकारी वित्त पोषित प्रायोजित परियोजनाओं की कमी थी। गैर-सरकारी वित्त पोषित परियोजनाएं, परियोजनाओं की संख्या के संदर्भ में 0.76 प्रतिशत से 26.09 प्रतिशत तथा परियोजना निधि के संदर्भ में 0.35 प्रतिशत से 14.31 प्रतिशत तक थीं। सभी आठ भा.प्रौ.सं. प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं के लिए सरकारी स्रोतों से पर्याप्त वित्त पोषण प्राप्त करने में समर्थ थे। यह भी देखा गया कि यद्यपि कई पेटेंट फाइल किए गए थे लेकिन वर्ष 2014-19 के दौरान पांच भा.प्रौ.सं. में कोई पेटेंट प्राप्त नहीं किया गया था, जो कि अनुसंधान क्रियाकलापों के परिणाम में सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है। शिक्षा मंत्रालय ने अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों के लिए नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु प्रत्येक भा.प्रौ.सं. की शासकीय संरचना में अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना की परिकल्पना की। यह देखा गया था कि इनमें से अधिकांश भा.प्रौ.सं. में परिषदों की स्थापना अभी भी प्रारंभिक चरण में थी, इस प्रकार इन भा.प्रौ.सं. में अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलापों की गति की दिशा में दिए जाने वाले आवश्यक जोर देने में बाधा उत्पन्न हुई।

अध्याय - VI: शासी एवं निरीक्षण निकाय

- अधिनियम और परिनियम, शासी निकाय जैसे बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स, सीनेट, वित्त समिति और भवन और निर्माण कार्य समिति के गठन का अनुबंध करते हैं। आगे, अधिनियम/परिनियम, बोर्ड के अध्यक्ष, निदेशक, उप निदेशक और रजिस्ट्रार को भा.प्रौ.सं. के अधिकारी के रूप में नियुक्ति का प्रावधान भी करते हैं, जिन्हें ऐसे कर्तव्यों का पालन करना अपेक्षित है जो अधिनियम और परिनियम के अंतर्गत निर्धारित किए गए हों। यह देखा गया था कि शासी निकायों द्वारा अपर्याप्त पर्यवेक्षण के कारण अवसंरचना के कार्यों के निष्पादन/पूर्ण होने में देरी हुई, जिससे अन्य पक्षों के साथ-साथ छात्रों की प्रवेश क्षमता, पाठ्यक्रमों की शुरूआत, अनुसंधान क्रियाकलापों के प्रभावी निष्पादन आदि प्रभावित हुए जैसा कि प्रतिवेदन में अवलोकन किया गया।